

भारत सरकार  
पेट्रो लयम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं० 24  
दिनांक 25 अप्रैल, 2016

ईंधन कफायत मानक

24. श्री दुष्यंत चैटाला:

क्या पेट्रो लयम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क:

- (क) क्या सरकार का नए वाहनों हेतु ईंधन कफायत मानकों को बढ़ावा देने का प्रस्ताव है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए ढठाए जा रहे हैं;
- (ग) क्या सरकार ने 18.2 कमी प्रति लीटर तक वाहन ईंधन क्षमता हा सल करने के लए कोई लक्ष्य निर्धारित कया है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर  
पेट्रो लयम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)  
(श्री धर्मेन्द्र प्रधान)

(क) और (ख): वद्युत मंत्रालय के नियंत्रणाधीन ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) ने दिनांक 23 अप्रैल, 2015 के सां व धक आदेश संख्या 1072 (अ) द्वारा एम-1 यात्री वाहनों के लए ईंधन दक्षता मानक अधसूचत कए हैं।

(ग) और (घ): उक्त अधसूचना में देश में उन सभी औसत भार रहित वाहनों के आधार पर 18.2 क.मी. प्रति लीटर की ईंधन दक्षता का लक्ष्य निर्धारित कया गया है जिनका कैलेण्डर वर्ष 2016 के दौरान वनिर्माण होगा या आयात होगा। तथाप, कंपनीपरक मानदंड संबंधत कंपनी के वास्तवक भार औसत भार रहित वाहनों पर आधारित है।

\*\*\*